

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840301

NOTED AND REGISTERED

on Dt. 22 NOV 2021

A.I. Sr. No.

16759/2021

// श्री गणेशाय नमः //

विक्रय अनुबंध—लेख

पह विक्रय अनुबंध लेख लिख देने वाले (1) श्रीमती सुमन नागर पति स्व. श्री सोहनलाल जी नागर, निवासी – 214, गुमाश्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.)
 (2) श्रीमती शोभा पति श्री शिवशंकर दशोरे (पिता स्व. श्री सोहनलाल जी नागर) निवासी – 2710, सेक्टर – ई, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.) (3) श्री विकास नागर पिता स्व. श्री सोहनलाल जी नागर, वर्तमान निवासी – ए-2, जजेस कॉलोनी, सदर बाजार झांसी (उ.प्र.) स्थायी निवासी – 214, गुमाश्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) (4) श्री विवेक नागर पिता स्व. श्री सोहनलाल जी नागर, निवासी – 214, गुमाश्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हें कि आगे इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से 'प्रथमपक्ष' के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें वे स्वयं उनके वैध उत्तराधिकारीगण, निष्पादक एवं निर्देशक आदि सम्मिलित है) और जिनके पक्ष तथा हित में यह विक्रय अनुबंध लेख लिखा जा रहा है श्रीमती चंचल नीमा पति श्री ओमप्रकाश नीमा, निवासी – 18/1, मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हें कि आगे इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से 'द्वितीयपक्ष' के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें वे स्वयं उनके वैध उत्तराधिकारीगण, निष्पादक एवं निर्देशक आदि सम्मिलित है)
 प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष के पक्ष तथा हित में यह विक्रय अनुबंध—लेख निम्नानुसार लिख देते हैं कि :- **ATTESTED**

DEEPAK KALASH JAISWAL
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
2018 Bhatiratnepura Indore (M.P.)

S. No. 2021/16759/2021

8419 -
8428 -

100/10 1000/-




10 NOV 2021

90 अप्रैल 214,

सुन्दरी नगर, गुजरात, भारत
मा. सं. १८११ - १८१२।

28/1309470638

दृष्टि प्रबन्ध
अधिकारी



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840302

(02)

1. यह कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन जो कि शहर इन्दौर में स्थित मल्हारगंज गली नंबर 1 (कैलाश मार्ग) में म्युनिसिपल भवन क्रमांक 36 (पुराना क्रमांक 27 व उससे पुराना क्रमांक 18) पैकि विभाजित भाग क्रमांक 1 पर स्थित है। उक्त भवन की तलभूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 111.34 वर्गमीटर (1198 वर्गफीट) है व उस पर तल मंजिल पर भवन निर्मित है जो कि लगभग 165 वर्ष पुराना निर्मित है। उक्त भवन आवासीय उपयोग एवं आवासीय प्रयोजन का होकर आवासीय क्षेत्र में स्थित है। उक्त भवन की निकासी पूर्व व उत्तर दोनों दिशा की ओर स्थित गली से है। उक्त भवन की चतु: सीमा निम्नानुसार है :-

चतुःसीमा

पूर्व में	-	गली
पश्चिम में	-	पाटनवाले गुरुजी का भवन
उत्तर में	-	गली
दक्षिण में	-	श्री बालाजी मंदिर एवं अन्य भवन

2. यह कि चरण क्रमांक 1 में उल्लेखित सम्पूर्ण भवन को पृथक—पृथक तीन पंजीकृत विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय किया गया है उसमें से पहले विक्रय पत्र के द्वारा जो भवन भाग क्रय किया गया है वह पूर्व दिशा वाला

अविरत पेज ... 03 पर


—चंचल नीरा

S. Nagar 80302 N.P.

8420

10 NOV 2021 - मध्यम उके साठ

RJ कुसुमाक
प्रस्तुति वेंडर
श्री श्री तवेला, इन्दौ
98935-1068





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840303


(03)

भाग जो कि पूर्व मुखी है। उसे प्रथमपक्ष क्रमांक 1 के पति व 2, 3 व 4 के पिता श्री सोहनलाल पिता श्री रामचन्द्रजी नागर द्वारा श्री अरुण कुमार पिता स्व. श्री भागीरथजी मिश्र, निवासी - 27, कैलाश मार्ग, इन्दौर से उप-पंजीयक कार्यालय, इन्दौर में विधिवत रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/ग्रंथ क्रमांक 9237/पंजीयत क्रमांक 4725 दिनांक 14/07/1987 के द्वारा क्रय किया गया है। उक्त भवन भाग की तलभूमि की साईज़ इस प्रकार है उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 28 फीट 7 इंच व चौड़ाई दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम तक 12 फीट 9 इंच है जो कि बालाजी के मंदिर की दीवार तक है तथा उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 13 फीट 3 इंच है इस प्रकार उक्त क्रय किये गये भाग का कुल क्षेत्रफल 34.53 वर्गमीटर (371.58 वर्गफीट) है।

यह कि उक्त चरण क्रमांक 1 में उल्लेखित सम्पूर्ण भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन के संबंध में दूसरे पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा पैकी एक भाग पूर्व दिशा वाला जो कि उत्तरमुखी है। उसे प्रथमपक्ष क्रमांक 1 श्रीमती सुमनलता पति श्री सोहनलाल जी नागर द्वारा श्री अरुण कुमार पिता स्व. श्री भागीरथजी मिश्र, निवासी - 27, कैलाश मार्ग, इन्दौर से उप-पंजीयक कार्यालय, इन्दौर में विधिवत रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/ग्रंथ क्रमांक 9241/पंजीयत क्रमांक 2586 दिनांक 15/07/1987 के द्वारा क्रय

अविरत पेज ... 04 पर

चंद्रल जीना



S. Nageshwar Rao

8421

10 NOV 2021

प्रधम हृत के साथ

श्रीमता पुण्या कुसुमा
द्वारा देखा गया
ग/3, भोती तखेला, इन्द्र
गढ़, ९८९३५-१०६१



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840304

(04)

किया गया है। उक्त निर्मित भवन की तलभूमि की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 13 फीट 9 इंच व चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 19 फीट है इस प्रकार उक्त क्रय किये गये भवन की तलभूमि का कुल क्षेत्रफल 24.28 वर्गमीटर (361.25 वर्गफीट) जिस पर एक मंजिला रेती व छूने की जुड़ाई से भवन निर्मित है जिसकी छत टीनशेड की निर्मित है।


यह कि उक्त चरण क्रमांक 1 में उल्लेखित सम्पूर्ण भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन के संबंध में तीसरे पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रथमपक्ष क्रमांक 1 के पति व 2, 3 व 4 के पिताजी श्री सोहनलाल पिता स्व. श्री रामचन्द्रजी नागर द्वारा (1) श्रीमती मनोरमा शर्मा पति श्री मुरलीधरजी शर्मा (2) श्री नीरज शर्मा पिता श्री श्याम मनोहरजी शर्मा, दोनों निवासी – 28, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.) से उप-पंजीयक कार्यालय, इन्दौर में विधिवत रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/ग्रंथ क्रमांक 1139/पंजीयत क्रमांक 1390 दिनांक 06/12/2006 के द्वारा क्रय किया गया है। जिसकी साईज लम्बाई 31 फीट 1 इंच व चौड़ाई 15 फीट एवं पश्चिम उत्तर कोने पर 6.9 ब्र्य 13 फीट होकर इसका कुल क्षेत्रफल 52.53 वर्गमीटर (565.24 वर्गफीट) है। जिस पर 500 वर्गफीट क्षेत्रफल में गाड़र फर्सी व खरंजा की छत का एक मंजिला लगभग 150 वर्ष पुराना भवन निर्मित है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में भूलवश उक्त भाग का कुल क्षेत्रफल लिखने में गलती की है किन्तु साईज सही है।

अविरत पेज ...05 पर
— चंद्रला जीजा

S. Nagarkar 20/06/2018

S. Nagarkar 20/06/2018



J. J. J.



8428

10 NOV 2021

प्रथम दृढ़ लाल



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100



ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840305

(05)

इस प्रकार से उक्त तीनों पंजीकृत विक्रय पत्रों $34.53 + 24.28 + 52.53$ इस प्रकार से उक्त भवन का कुल क्षेत्रफल 111.34 वर्गमीटर (1198 वर्गफीट) है। उक्त भवन काफी पुराना हो जाने से खण्डहर स्थिति में है जिसे जमींदोज कर भूखण्ड के विक्रय पत्र का पंजीयन प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के पक्ष तथा हित में करवाया जावेगा। उक्त श्री सोहनलाल जी नागर पिता स्व. श्री रामचन्द्र जी नागर का स्वर्गवास दिनांक 25/02/2015 को निर्वसीयतीय अवस्था में हो जाने के कारण से उक्त उल्लेखित सम्पत्ति में उनके स्वामित्व अधिकार के उत्तराधिकारीगण प्रथमपक्ष है। प्रथमपक्ष के अलावा उनके कोई वैध वारिस एवं उत्तराधिकारीगण नहीं हैं। प्रथमपक्ष क्रमांक 1 पत्ति, प्रथमपक्ष क्रमांक 2 पुत्री व प्रथमपक्ष क्रमांक 3 व 4 पुत्र होने के नाते से उक्त स्व. श्री सोहनलाल पिता स्व. श्री रामचन्द्रजी नागर के उत्तराधिकारीगण हैं एवं उन्हे उक्त सम्पत्ति विक्रय कर यह विक्रय अनुबंध लेख क्रेतापक्ष के पक्ष तथा हित में निष्पादित करने का पूर्णरूपेण अधिकार प्राप्त है।



यह कि उपरोक्त चरण क्रमांक एक में उल्लेखित भूखण्ड व उस पर भवन जो कि खण्डहर हो चुका है को प्रथमपक्ष ने आप द्वितीयपक्ष को विक्रय करना तय किया होकर संपूर्ण प्रतिफल राशि रुपये 27,00,000/-

S. Nagore Bachan [Signature]

अविरत पेज ...06 पर

नीति विवरण

8423

10 NOV 2021

प्रधान दृष्टि साध

पंडित पंचाकुमार
काला गोपन्दर
दृष्टि साध
98935-1068



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840306

(06)

(अक्षरी सत्ताईस लाख केवल) में विक्रय करने का अनुबंध किया है और उसमें से आंशिक प्रतिफल राशि रुपये 9,22,000/- (अक्षरी नौ लाख बाईस हजार केवल) का भुगतान प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर लिख है :—

(1) राशि रुपये 2,30,500/- (अक्षरी दो लाख तीस हजार पांच सौ केवल) एक अकाउण्ट पेयी चैक जो कि इन्दौर क्लॉथ मार्केट को—ऑपरेटिव्ह बैंक लि., शाखा — मेन ब्रांच, 23, सर हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर का होकर उसका क्रमांक 033114 व दिनांक 10/09/2021 है जिसे प्रथमपक्ष क्रमांक 1 ने द्वितीयपक्ष क्रमांक 1 से भुगतान में प्राप्त कर लिया है।


(2) राशि रुपये 2,30,500/- (अक्षरी दो लाख तीस हजार पांच सौ केवल) एक अकाउण्ट पेयी चैक जो कि इन्दौर क्लॉथ मार्केट को—ऑपरेटिव्ह बैंक लि., शाखा — मेन ब्रांच, 23, सर हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर का होकर उसका क्रमांक 033115 व दिनांक 10/09/2021 है जिसे प्रथमपक्ष क्रमांक 2 ने द्वितीयपक्ष क्रमांक 1 से भुगतान में प्राप्त कर लिया है।

राशि रुपये 2,30,500/- (अक्षरी दो लाख तीस हजार पांच सौ केवल) एक अकाउण्ट पेयी चैक जो कि इन्दौर क्लॉथ मार्केट को—ऑपरेटिव्ह अविरत पेज ...07 पर

—चंद्रघल नीमा

S. Nagar

[Signature]



8424

10 NOV 2021

प्रधान दृष्टि नाथ

R
प्रधान दृष्टि
देश
8/3, मोती तबे
Mob. 98935



भारतीय नौसैनिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840307

(07)

बैंक लि., शाखा — मेन ब्रांच, 23, सर हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर का होकर उसका क्रमांक 033116 व दिनांक 10/09/2021 है जिसे प्रथमपक्ष क्रमांक 3 ने द्वितीयपक्ष क्रमांक 1 से भुगतान में प्राप्त कर लिया है।

(4) राशि रुपये 2,30,500/- (अक्षरी दो लाख तीस हजार पाँच सौ केवल) एक अकाउण्ट पेड़ी चैक जो कि इन्दौर क्लॉथ मार्केट को—ऑपरेटिव्ह बैंक लि., शाखा — मेन ब्रांच, 23, सर हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर का होकर उसका क्रमांक 033117 व दिनांक 10/09/2021 है जिसे प्रथमपक्ष क्रमांक 4 ने द्वितीयपक्ष क्रमांक 1 से भुगतान में प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार से आज दिनांक तक प्रथमपक्ष ने राशि रुपये 9,22,000/- (अक्षरी नौ लाख बाईस हजार केवल) द्वितीयपक्ष से भुगतान में प्राप्त कर ली है व शेष रही प्रतिफल राशि रुपये 17,78,000/- (अक्षरी सत्रह लाख अक्षर लेटर हजार केवल) का भुगतान द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को आज सेवाक से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि में स्वयं के स्त्रोतों से व बैंक से ऋण प्राप्त कर किया जावेगा और प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को बैंक से ऋण लिए जाने में उसकी ओर से जो—जो कागजात व दस्तावेज मांगे जावेंगे उन—उन की आवश्यकतानुसार पूर्ति करेंगे। प्रथमपक्ष को उक्त अनुबंध

अविरत पेज ...08 पर

— अंचल नीमा

S. Nagarkar

Signature


Signature

8425

10 NOV 2021

प्रधानमंत्री के साथ

Q
निवास
स्टारप को
8/3, मोती तबल
Mob. 98935



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP. 840308

(08)

की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के पक्ष तथा हित में संबंधित उप पंजीयक महोदय के समक्ष विक्रय पत्र निष्पादित कर उसका पंजीयन तत्पर होकर करवाकर देवेंगे।

4. यह कि उक्त अनुबंधित भवन सम्पत्ति को आगे इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से 'उक्त सम्पत्ति' शब्द से संबोधित किया गया हैं जिसका आशय इस लेख के द्वारा विक्रय हेतु अनुबंधित किये जा रहे चरण क्रमांक 1 में उल्लेखित भूखण्ड व उस पर निर्मित सम्पूर्ण भवन (जो कि खण्डहर हो चुका है) और उसके ऊपर की छत से है जिसे विक्रय पत्र पंजीयन के पूर्व पूर्णरूपेण जमींदोज कर दिया जावेगा और केवल भूखण्ड का विक्रय पत्र निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया जावेगा।

5. यह कि विक्रय-पत्र को पंजीकृत करवाने की सारी प्रक्रिया में लगने समस्त शुल्क व समस्त व्यय को द्वितीयपक्ष वहन करेंगे।

उक्त सम्पूर्ण भवन काफी पूराना निर्मित होने के कारण खण्डहर हो जाया है जिसे क्रेतापक्ष अपने व्यय से तुड़वाकर भूमि को समतल कर लेंगे जिसकी सहमति विक्रेतापक्ष इस विक्रय अनुबंध लेख के द्वारा उक्त क्रेतापक्ष को देते हैं। क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से उक्त भवन को तोड़कर समतल करते

अविरत पेज ...09 पर

— अचल नीरा —

S. Nagender Singh

Signature


Signature

8426

10 NOV 2021

प्रधानमंत्री के साथ

प्रधानमंत्री के साथ
लक्ष्मण वेणडर
8/3, घोटी तबेला, इन्दौर
Mob. 98935-1068



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840309

(09)

हैं तो इसमें विक्रेतागण को कोई उज्ज्ञ आपत्ति नहीं है। यदि उक्त तोड़-फोड़ से किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है, किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उस समस्त के लिये क्रेतापक्ष उत्तरदायी रहेगा एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेतापक्ष स्वयं की रहेगी। उक्त भवन को जमींदोज किये जाने से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिये प्रथमपक्ष / विक्रेतापक्ष किसी भी प्रकार से दोषी नहीं होगा एवं ना ही उनकी किसी प्रकार की कोई जवाबदेही होगी।

6. यह कि प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था आदि से ऋण नहीं ले रखा है और उक्त सम्पत्ति को अन्यत्र किसी व्यक्ति, आदि को विक्रय हेतु अनुबंधित नहीं कर रखा है और अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय, दान, गिरवी, बक्षीस, मुख्त्यारनामें अथवा वसीयतनामें आदि के जरिये अन्तरित नहीं किया हैं और न ही किसी भी प्रकार के जमानत, मेन्टेनेन्स डिक्री या अन्य किसी प्रकार के भार से भारित या बोझित किया है। उक्त सम्पत्ति के स्वत्व अथवा कब्जे के संबंध में भी कोई विवाद अथवा प्रकरण किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष विचाराधीन नहीं हैं। उक्त सम्पत्ति पूर्णतया भार रहित अवस्था में प्रथमपक्ष ने आप द्वितीयपक्ष को विक्रय करने का अनुबंध किया है। उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या दोष उत्पन्न होता है या अविरत पेज ...10 पर

—नंदलाल नोमा

S. Nagpal

808

S. Nagpal

V.V.

8427

10 NOV 2021

ग्रन्थालय के साथ

R
रमेश भाकर
प. नं. १०५८
प. ४, विराज तलाल, इन्दौर
मोबाइल: ९८९३५-१०६८८



भारतीय न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BP 840310

(10)

किसी के द्वारा अपना हक्क अधिकार सिद्ध किया जाता हैं तो उसके संपूर्ण निराकरण का दायित्व सव्यय प्रथमपक्ष का रहेगा। इस कारण से द्वितीयपक्ष को कोई खर्चा या नुकसानी लगाने नहीं देवेंगे।

7. यह कि आप द्वितीयपक्ष ने संपूर्ण राशि का भुगतान कर देने पर उक्त सम्पत्ति के विक्रय-पत्र की रजिस्ट्री कराने की तत्परता बताने पर भी प्रथमपक्ष ने रजिस्ट्री करने में आना कानी की या इंकार किया तो आप द्वितीयपक्ष को न्यायालय में अनुबंधपूर्ति का दावा (स्पेसिफिक परफारमेन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट) लगाकर उक्त सम्पत्ति के विक्रय-पत्र का पंजीयन न्यायालय के मार्फत अपने पक्ष तथा हित में मय रिक्त आधिपत्य के करवा

यह कि उक्त सम्पत्ति पर देय समस्त टैक्सेस तथा बिजली बिल, व अन्य व्यय आदि प्रथमपक्ष भुगतान करेंगे तथा विक्रय-पत्र पंजीयन के पश्चात् से उक्त सम्पत्ति पर देय समस्त टैक्सेस तथा व्यय आदि आप द्वितीयपक्ष अदा करते जावेंगे।

9. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड व भवन से संबंधित सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों की फोटोप्रति, सम्पत्ति कर की रसीद, विद्युत देयक की रसीद आवश्यकता दिनांक को द्वितीयपक्ष को उपलब्ध करा देवेंगे।

अविरत पेज ...11 पर

— चल जाएगा

S. Nagpal 800

✓

✓


8428

10 NOV 2021

प्रदान करने के साथ

R

2021
843, 3rd Fl.
9893



10. यह कि उक्त सम्पत्ति के विक्रय का व्यवहार प्रथमपक्ष तथा उसके समर्त उत्तराधिकारियों पर पूर्ण रूप से बन्धनकारक व मान्य होगा तथा इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

11. यह कि उक्त सम्पत्ति के विक्रय-पत्र के निष्पादन के पश्चात् द्वितीयपक्ष अपने नाम से शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्वायत्तशासी कार्यालयों में अपने व्यय से नामांतरित करवा सकेंगे जिसमें प्रथमपक्ष की जहां-जहां भी उपस्थिति, हस्ताक्षर शपथ-पत्र आदि की आवश्यकता होगी वहाँ उपस्थित रहकर एवं हस्ताक्षर कर पूर्ण सहयोग करेंगे।

अतः यह विक्रय अनुबंध-लेख प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने परस्पर एक-दूसरे के पक्ष तथा हित में अपनी-अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, अपने-अपने मन मस्तिष्क की पूर्ण स्वरथ अवस्था में पढ़कर, सुनकर व समझकर साक्षीणों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर से निष्पादित किया सो सही प्रमाण रहें व आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

इन्दौर

दिनांक

साक्षीण :-

1. हस्ताक्षर *Bheler*

नाम *Moholasthankar Patel*

पिता का नाम *Kanherifadel Patel*

पता 104, Village Ambanaliya

2. हस्ताक्षर *Chardak*

नाम *Vinisha Chardak*

पिता का नाम *Ramprakash Meem*

पता *पर्याय प्रभाव निवास नगर काठी नगर*
जिसे श्री *लालू लालू कुमार प्रसाद* के पक्ष से लिया गया।
जिसके हस्ताक्षर साथ में है ने उपरोक्त कथन कर
रामक शपथ-पत्र स्वीकार किया।

दिनांक *16/5/21* 22/11/21

ATTESTED



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

S. Nagde
(श्रीमती सुमन नागर)

S. Nagde
(श्रीमती शोभा दशोरे)

Vikas Nagar
(विकास नागर)

Vivek Nagar
(विवेक नागर)

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

Chandul Nima
(श्रीमती चंदल नीमा)

DEEPAK KAILASH JAISWAL
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
2018 Bhagirathnagar Indore (M.P.)